न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं0 2016/00176 (02/2016) 223 आरटीएक्ट

निरंजन सिह पुत्र स्व0 श्री तारा सिंह आयु 65 वर्ष जाति जटसिख निवासी ढाणी चक 1 टीएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. साहबसिंह दत्तक पुत्र स्व0 गुरदेव सिह आयु 40 वर्ष जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट/वादी
2. जसपाल कौर धर्मपत्नी स्व0 श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
3. स्वराज सिह पुत्र स्व0 श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
4. जगराज सिह पुत्र स्व0 श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3

5. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री राज सिह पुत्र स्व0 मलू सिह जाति राय सिख निवासी जम्मू बस्ती अबोहर, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
6. सरजीतो बाई धर्म पत्नी स्व0 गज्जन सिह पुत्र स्व0 राज सिंह जाति राय सिख निवासी जम्मू बस्ती अबोहर, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
7. मनजीत सिह पुत्र स्व श्री गज्जन सिंह पुत्र स्व0 राज सिह जाति राय सिख निवासी जम्मू बस्ती अबोहर, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
8. लालसिंह पुत्र स्व श्री गज्जन सिंह पुत्र स्व0 राज सिह जाति राय सिख निवासी जम्मू बस्ती अबोहर, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

– रेस्पोडेण्ट/मृतक प्रतिवादी संख्या –5 के वारिसान

9. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 10.04.2014 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0 सं0 60–ए/2014 शीर्षक साहबसिंह बनाम जसपाल कौर आदि

उपस्थितः–
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री अनुभव सिडाना अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5 व 8
श्री विनोद पारिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 6 व 7
श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 9

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांकः— 13.12.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद पत्र प्रसतुत किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पिता गुरदेव सिह निरंजन सिंह व दर्शनसिह सगे भाई थे तथा उनकी 1 टीएलडब्ल्यू 'ए' चक 1 टीएलडब्ल्यू 'बी' व चक 5 टीएलडब्ल्यू में भूमि थी जिसका घरेलू बंटवारा 06.06.91 को हुआ था। वादी ने वादपत्र की चरण संख्या 3 (क), (ख), (ग) में कथित घरू बंटवारा अनुसार अपीलाण्ट तथा स्व0 गुरदेवसिंह व दर्शनसिह के कब्जा काश्त की भूमि का उल्लेख किया। वाद पत्र में यह भी कथन किया कि उक्त बंटवारानामा के मुताबिक राजस्व अभिलखे में हिस्सा कस्सी दर्ज होनी थी लेकिन अपीलाण्ट के हिस्सा में खाता संख्या 80/74, पत्थर नं. 238/299 (26) किला नं. 18, पत्थर नं. 239/299 (27) किला नं. 22 कुल 2 बीघा गलत रूप से दर्ज हो गई जबकि यह भूमि रेस्पोडेण्ट वादी को घरू बंटवारा में मिली हुई थी। इसी प्रकार संयुक्त खाता संख्या 125/117 पत्थर नम्बर 238/299 (26) किला नं. 16—17—24—25 कुल 4 बीघा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 व अपीलाण्ट स्व0 श्री राजसिंह (प्रतिवादी संख्या 1 से 5) के नाम दर्ज हो गई जबकि यह भूमि वादी के पिता स्व0 गुरदेवसिह को घरू बंटवारा में प्राप्त हुई थी। वादी ने यह भी कथन किया कि उसके पिता श्री गुरदेव सिह व दर्शनसिंह ने आपस में मौखिक तबादला किया हुआ था। वादी ने उक्त वर्णित 6 बीघा भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं राजस्व अभिलेख में अपने नाम अंकित करने का अनुतोष मांगा। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने दिनांक 10.04.2014 को राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा के आधार पर विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत 6 बीघा का वादी को खातेदार घोषित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत, विधि विरूद्ध, अनुचित है जो दुर्भिसंधी करते हुए राजीनामा के आधार पर पारित की गई है। अपीलाण्ट का पता यह जानते हुए कि अपीलाण्ट ढाणी चक 1 टीएलडब्ल्यू 'बी' में निवास करता है के बावजूद तलवाड़ाझील अंकित किया तथा अपने नजदीकी एवं हितबद्ध व्यक्तियों तथा तामील कुनिन्दा से मिलीभगत कर फर्जी तौर पर चस्पांदगी की कार्यवाही दिखाई गई है। अपीलाण्ट के पास न्यायालय का कोई सवार नहीं आया ना ही अपीलाण्ट पर सम्मन की तामील हुई है। अपीलाण्ट का गलत पता अंकित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 5 राजसिंह पुत्र मलूसिंह भी दावा दायरी से काफी वर्षों पूर्व फौत हो चुका था तथा राजसिंह का स्थाई निवासी भी जम्मू बस्ती अबोहर था। रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी ने यह वादपत्र मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया है तथा मृज राजसिंह की तामील भी गलत भेजी।
4. रेस्पोडेण्ट ने कथित जिस घरू बंटवारा दिनांक 06.06.1991 का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत 6 बीघा घरू बंटवारा में अपने कब्जा में होने का कथन किया है वह तथ्य अभिवचनों के मुताबिक भी सिद्ध नहीं था। वाद पत्र की चरण संख्या 3 (ग) में वर्णित भूमि कथित घरू बंटवारा में दर्ज नहीं है तथा ना ही घरू बंटवारा को साक्ष्य से सिद्ध किया गया है। कथित घरू बंटवारा न तो कभी लागू हुआ न ही इस घरू बंटवारा अनुसार कब्जा का अन्तरण हुआ। अपीलाण्ट व गुरदेव सिह तथा दर्शन सिह के मध्य चक 1 टीएलडब्ल्यू 'बी' की संयुक्त खाता की भूमि का न्यायालय की डिक्री से सन्

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

2000 में विभाजन हो चुका था। इस विभाजन के आधार पर इन्तकाल 346 दिनांक 06.12.2000 हो हुआ। यदि तथाकथित बंटवारा दिनांक 06.06.91 लागू किया जाता तो विभाजन की डिक्री में बयानकर्दा 6 बीघा भूमि भी कथित बंटवारानामा या तबादला अनुसार शामिल होती। वस्तुत प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट की एकल खातेदारी भूमि थी। अपीलाण्ट ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 19.12.87 लखुमल पुत्र कोडूमल सिधी से चक 1 टीएलडब्ल्यू के प. नं. 239/299 (27) किला नं. 22 प. नं. 240/299 (28) किला नं. 10, प. नं. 239/300 (29) किला नं. 10 कुल 3 बीघा भूमि खरीद की थी कालान्तर में प. नं. 240/299 (28) किला नं. 10 का तबादला सरजीत कौर पुत्री कृपालसिंह धर्मपत्नी महांसिह जाति सैनी के साथ उसकी कृषि भूमि प. नं. 238/299 (26) किला नं. 18 के साथ किया था। यह भूमि कथित रूप से संयुक्त खाता की नहीं थी। इसी प्रकार 1 टीएलडब्ल्यू 'बी' की भूमि 125/117 की 1.012 है. भूमि में अपीलाण्ट व स्व0 श्री दर्शनसिंह का बहिस्सा बराबर 0.860 है. थी जो उन्होंने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 19.06.82 राजसिंह उर्फ राणासिंह पुत्र श्री मलूसिंह उर्फ मेलूसिंह से खरीद की थी। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 ने परस्पर मिलीभगत कर उक्त 1.012 है. भूमि में अपीलाण्ट का 0.430 है. भूमि हड़पने के लिए षड़यन्त्रपूर्ण राजीनामा प्रस्तुत किया है। भूमि पर अपीलाण्ट ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा तलवाड़ाझील से कृषि ऋण भी ले रखा है इसलिए वाद में बैंक भी आवश्यक पक्षकार था। इस कारण मामला में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का मसला भी था। अपीलाण्ट ने उक्त कृषि भूमि पर 31 मार्च 2016 से पहले ऋण चुकता करने के लिए पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया तब अपीलाण्ट को ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भूमि न्यायालय की डिक्री से वादी के नाम दर्ज है तब कागजात की पड़ताल कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तु कर दी है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 14.01.2010 पेज 24, आरआरडी 2010 पेज 373, आरआरडी 2003 पेज 405, आरआरडी 1990 पेज 548, आरआरडी 1989 पेज 364, डीएनजे 2011 एस.सी. पेज 183, आरआरडी 2009 पेज 195, डीएनजे 2003 (3) पेज 1090के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट का यह कथन कि विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित वादपत्र के सम्मन की अपीलार्थी पर कोई तामील नहीं हुई है कतई गलत एवं निराधार है। अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की पूर्ण जानकारी थी। अपीलार्थी का यह अभिकथन कि अपीलार्थी ने अपनी कृषि भूमि पर दिनांक 31.03.2016 से पहले ऋण चुकता करने के आशय से पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया तब अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भूमि न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के नाम दर्ज है इस सम्बन्ध में निवेदन है कि बैंक का ऋण चुकता करने हेतु जमाबंदी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अपीलार्थी का यह अभिकथन कि विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री का उसे कोई ज्ञान नहीं था कतई गलत एवं निराधार है। । तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक 1 टीएलडबल्यू 'बी' जमाबन्दी 2072–75 खाता संख्या 90/79 प0 नं0 239/300 (29) किला नं. 2, 3 कुल तादादी 0.506 है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें अपीलार्थी का 0.126 है0 का हिस्सा व प्रत्यर्थी संख 1 का 0. 127 है0 का हिस्सा व गुरजीत सिंह का 0.253 है0 का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एवं इसी चक के खाता संख्या 143/130 प0 नं0 239/300 (29) किला नं. 4/1 तादादी 0.196 है0 प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम व रघुवीरसिह पुत्र गुरदयालसिंह के नाम ब0हि0ब0 दर्ज है। चरण संख्या 3 में वर्णित प्रत्यर्थी संख्या 1 के हिस्सा की कृषि भूमि अपीलार्थी ने शंकर नामक व्यक्ति को ईंट भट्टा लगाने हेतु दे दी जिस बाबत प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कोई सहमति नही दी। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी कृषि भूमि से बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ की तो अपीलार्थी ने मिथ्या आधार पर यह अपील प्रस्तुत की। वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पिता आपस में सगे भाई थे जिनकी तीन चकों में भूमि थी। तीनों भाईयों ने दिनांक 06.06.1991 को एक घराघरू बंटवारा लिखित किया हुआ था जिसके अनुसार तीनों काबिज होकर लगातार काश्ते करते आ रहे थे। उक्त बंटवारा के अनुसार तीनों भाईयों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना था परन्तु सहवन से प्रतिवादी सं0 4 निरंजन सिंह के हिस्सा में खाता नं. 125/117 प0 नं0 238/299 (26) किला नं. 16, 17, 24, 25 दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गये। यह भूमि वादी के पिता गुरदेवसिंह को प्राप्त हुई थी तथा उसके कब्जा काश्त में चली आ रही थी। वादी के पिता गुरदेवसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता दर्शन सिंह ने आपस में मौखिक तबादला कर लिया। उक्त मौखिक तबदाला के अनुसार वादी के पिता को प्रश्नगत भूमि प्राप्त हुई। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है। उक्त कृषि भूमि वादी के पिता के हिस्सा की कृषि भूमि है जिसका राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम गलत अंकन हो गया। उक्त कृषि भूमि का वादी के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज होना चाहिए था जो विचारण न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्त ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (14) 2007 पेज 10, आरआरडी 1994 पेज 422, आरआरडी 2010 (1) पेज 3676, 2009, (2) सीसीसी पेज 732, 2012 (3) डीएनजे राज पेज 1257, डीएनजे राज 2013 (1), 2014 (4) डीएनजे राज पेज 1313, 2018 (3) सीसीसी पेज 92, आरआरडी 1990 पेज 125, डीएनज (राज) 995 पेज 38 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट में पेश किया था। वाद पत्र में चक 1 टीएलडब्ल्यू 'बी' की कुल 22 बीघा 6 बिस्वा भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने रकम राज अलग कायम करने व चक नं. 1 टीएलडब्लयू 'बी' खाता संख्या 125/117 व खाात संख्या 80/74 से प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा कम किये जाने व इसी चक के खाता संख्या 125 से प्रतिवादीगण का 1/5 का नाम कलमजन करने एवं बैंक ऋण यथावत रखने का अनुतोष मांगा था। जिसमें राजसिंह का चक 1 टीएलडब्ल्यू 'बी' के खाता संख्या 125/117 में संयुक्त खाता में 0.152 है. भूमि दर्ज है। राजसिंह दिनांक 12.10.1995 को फौत हो चुका है। वादी रेस्पोडेण्ट ने इस भूमि की अपीलाधीन निर्णय द्वारा खातेदारी दर्ज करवाई है। इस प्रकार यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजसिंह अथवा उसके वारिसान को वाद सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रतिवादी के सम्मन उपलब्ध है जिस पर अपीलाण्ट का पता तलवाड़ा झील अंकित किया गया है। सम्मन पर अंकित है कि सायल मौके नहीं मिला एक प्रति आबाद मकान पर चस्पा की गई। दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये साथ ही यह भी अंकित है कि ''लेने से इंकार' अंकित है। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। गवाहों के नाम शिवराज सिंह व रघुवीर सिंह दर्ज है जिनकी वल्दीयत एवं पूरा पता अंकित नहीं किया गया है। इससे यह साबित नहीं होता है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में तामील हो चुकी हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की तामील विधि विधि सम्मत मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि अनुकूल नहीं है। अपीलाण्ट का कथन है कि वह तलवाड़ा झील में निवास नही करता है बल्कि वह 1 टीएलडब्ल्यू ''बी'' में निवास करता है। अपीलाण्ट के उक्त कथनों की पुष्टि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उसके भारत निवार्चन आयोग के पहचान पत्र से होती है जिसमें उसका पता तलवाड़ा झील (1टी.एल.डब्ल्यू. बी.) तहसील टिब्बी अंकित है। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है और अन्य प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री के द्वारा अपीलाण्ट को सुने बिना ही उसकी भूमि पर वादी सं0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया है जो विधि सम्मत नही है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में चस्पा नही होते हैं। इस न्यायालय में रेस्पोडेण्ट राजसिंह के वारिसान एक अन्य अपील सं0 46/2016 बअनवानी सरजीतो बाई आदि बनाम साहबसिंह आदि भी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय मानते हुए दिनांक 12.04.2017 आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई है।, जिसकी प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील भी आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2014 निरस्त किया जाता हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.01.2019 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 14:15:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: